कार्यालय कुलसचिव,वर्धमान महावीर खुला विष्वविद्यालय , कोटा

निविदा प्रपत्र

वर्श 2011–12 में विष्वविद्यालय के परीक्षा एंव अन्य कार्यो हेतु कोटा एवं कोटा के बाहर के स्थानों पर यात्रा के लिये टैक्सी किराये पर लेने बाबत निविदा :–

अनुमानित लागत रूपये 7,50000 / – निविदा विक्रय की तिथि 8.3.2011 से 11.3.2011 तक

धरोहर राषि रूपये 15000 / – निविदा जमा करने की तिथि 14.3.2011 को 1.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र षुल्क रूपये 100 / – निविदा खोलने की तिथि 14.3.2011 को 2.30 बजे

निविदा सूचना संख्या 174 दिनांक 09.2.2011 धरोहर राषि रूपये 15000 / –बैंक ड्राफ्ट क्रमांक..................दिनांक..................

मैं / हम आपकी उपरोक्त निविदा सूचना में अंकित षर्तो से सहमत हूॅं / है निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सूची में प्रदर्षित षर्तो से सहमत हूॅं / है।

1. निविदादाता का नाम :...
2. (अ) पूर्ण पता :...
   (ब) दूरभाश संख्या :...
3. फर्म का नाम :...
4. फर्म स्थापना का वर्श :...
5. कुल उपलब्ध वाहनों की संख्या :...
6. सरकारी / अर्द्धसरकारी विभागों का कार्यानुभव :...
7. आयकर दाता है या नही यदि हॉ तो आयकर पंजीयन प्रमाण पत्र / पैन कार्ड संलग्न करें। :...
8. उक्त कार्य हेतु हमारी दरें निम्न है :–

क. स.	आपूर्ति किये जाने वाले वाहन का विवरण (डीजल)	दरें प्र. किमी. मय फ्यूल / आयल (राजस्थान में)	कोटा लोकल की दरें12 घंटे	कोटा लोकल 12 घंटो के अतिरिक्त दरें	हाल्टिंग चार्जेज प्रति रात्रि (24 घंटे पूर्ण होने पर)
1.	टाटा सूमो –नॉन ए.सी.				
2.	टाटा इण्डिका– ए.सी.				
3.	टाटा इण्डिका–नॉन ए.सी.				
4.	क्वालिस– ए.सी.				
5.	क्वालिस–नॉन ए.सी.				
6.	बोलेरो –ए.सी.				
7.	बोलेरो–नॉन ए.सी.				
8.	टवेरा – ए.सी.				

9.	टवेरा–नॉन ए.सी.				
10.	इनोवा ए.सी.				
11.	इनोवा नॉन ए.सी.				
12.	इंडिगो ए.सी.				
13.	मिनी बस ए.सी.				
14.	मिनी बस नॉन ए.सी.				
15.	मिनी डोर (लोकल हेतु)				

अन्य नियम व षर्ते

1. किराये पर उपलब्ध करवाये गये वाहन में पेट्रोल,डीजल, ल्यूब्रिकेन्ट की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
2. किराये पर उपलब्ध करवाये गये वाहन में होने वाली टूट फूट/ मरम्मत की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
3. किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर नुकसान, व्ययभार की समस्त जिम्मेदारी फर्म की होगी।
4. वाहन चालक की पूर्ण व्यवस्था फर्म द्वारा की जावेगी।
5. उपरोक्त दरें एक वर्श तक मान्य होगी यह अवधि आपसी समझौते से बढायी जा सकती है।
6. वाहन मॉडल वर्श 2008 या इसके बाद के ही उपलब्ध करवाये जायेगें।
7. विष्वविद्यालय की निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न उल्लेखित षर्ते 1 से 20 तक स्वीकार है।
8. वाहन टैक्सी नम्बर का होगा अर्थात परिवहन विभाग में टैक्सी के रूप में पंजीकृत होगा।
9. कोटा से बाहर के लिए न्यूनतम 250 कि.मी. का प्रतिदिन (24घन्टे)चार्जेज देय होगा।
10. कोटा में स्थानीय उपयोग के लिए न्यूनतम 100 कि.मी.(प्रति 12घण्टो के लिए) एंव अतिरिक्त घण्टों पर अलग से तयषुदा चार्जेज देय होगें।
11. फर्म द्वारा विष्वविद्यालयों में दी गई सेवाओं के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
12. फर्म द्वारा प्रतिवर्श (विगत 2 वर्शों 2009–10 व 20010–11) के टर्न ओवर एंव अन्य सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करने होगें जिससे उसके प्रतिश्ठित होने का अनुमान किया जा सके।
13. सभी प्रकार के टेक्स टोल टैक्स व पार्किंग चार्जेज फर्म द्वारा रसीद प्रस्तुत करने पर विष्वविद्यालय द्वारा भुगतान अलग से देय होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

विष्वविद्यालय में टैक्सी कार्य हेतु षर्ते :–

1. किसी भी न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिये विष्वविद्यालय बाध्य नहीं है।
2. किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द किया जा सकता है।
3. निविदा भरने वाले व्यक्ति/फर्म को निविदा प्रपत्र के साथ आयकर तथा सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा।

4. निविदा के साथ धरोहर राषि 2 प्रतिषत अर्थात रूपये 15000/– (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विष्वविद्यालय, कोटा के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद जमा कर रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। अनुमोदित /स्वीकृत फर्म को करार निश्पादन के समय तथा कार्य प्रारम्भ के समय जो भी पूर्व हो सिक्यूरिटी डिपोजिट अनुमानित राषि का पांच प्रतिषत जमा करवाना आवष्यक होगा। जिसमें धरोहर राषि के रूप मे जमा करवाई गई राषि समायोजित की जायेगी।
5. अनुमोदित फर्म/व्यक्ति को उनकी दरें अनुमोदित होने पर 100/–रूपये के नॉन ज्यूडिषियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भरना होगा तत्पष्चात ही कार्यादेष जारी किया जायेगा।
6. वाहन की आवष्यकता होने पर फर्म द्वारा तुरन्त उपलब्ध कराना होगा।
7. निविदा में फर्म द्वारा अंकित कोई/ किसी प्रकार की षर्त मान्य नहीं होगी।
8. यदि टैक्सी समय पर आपूर्ति नहीं की गई अथवा टैक्सी वाहन में तकनीकी खराबी एंव गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचने पर क्षतिपूर्ति के रूप में फर्म द्वारा कार्यालय में जमा सिक्यूरिटी राषि में से रूपये 500/– (रूपये पांच सौ) दण्ड स्वरूप समायोजित होगें या पूर्ण क्षति जो भी अधिक हो देने के लिये अनुमोदित फर्म ही उत्तरदायी होगी। वाहन खराब होने पर फर्म अन्य वाहन की व्यवस्था करेगी। यदि अन्य वाहन की व्यवस्था फर्म द्वारा नही की जाती है तो विष्वविद्यालय द्वारा की गई व्यवस्था के पेटे किये गये व्यय का पुनर्भरण फर्म को करना होगा।
9. किसी कारणवष दिनांक 14.3.2011 को निविदा नहीं खोली जा सकी तो अगले कार्य दिवस दिनांक 15.3.2011 को दोपहर 12.30 बजे खोली जायेगी।
10. विष्वविद्यालय अनुबन्ध को किसी भी समय समाप्त कर सकता है।
11. षर्तो का उल्लघंन करने पर फर्म को काली सूची में दर्ज किया जावेगा एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
12. बिल दो प्रतियों में मय मूल कार्यादेष एंव आपूर्ति किये वाहन के रजिस्ट्रेषन की प्रति के साथ फर्म उपलब्ध करवायेगी।
13. प्रत्येक बिल पर आयकर की स्वीकृत दर से टी.डी.एस. काटा जावेगा।
14. राजस्थान के बाहर यात्रा करने पर टैक्स फर्म द्वारा ही वहन किया जावेगा।
15. एक से अधिक फर्मो को कार्य देने का अधिकार एंव किसी भी निविदा या निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार भी विष्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
16. उपलब्ध करवायी गई टैक्सी वर्श 2008 या उसके बाद के मॉडल की ही होगी।
17. अन्य षर्ते सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियम के अनुसार मान्य होगी।
18. सीलबन्द लिफाफों पर टैक्सी की दरों के लिये अलग से अंकित करें।
19. अंकित की गई दरों में कटिंग /ओवर राइटिंग किये जाने एंव निविदादाता के लघु हस्ताक्षर नहीं होने पर सम्बन्धित फर्म की निविदा निरस्त की जायेगी।
20. किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्याय क्षेत्र कोटा रहेगा।

कुलसचिव